भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्रमांक– 220/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61 सहपठित धारा 181(2)(यघ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत–दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2017 (जी–43, वर्ष 2017) जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत–दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2017 में प्रथम संशोधन {एजी–43(i), वर्ष 2023}"

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की विद्युत–दर निर्धारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 {एजी–43(i), वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन

उप–खण्ड 2(म) के पश्चात् उप–खण्ड 2(मक) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए:

"(मक) सौर पवन मिश्रित परियोजनाएं" से अभिप्रेत एक परियोजना से है जिसके द्वारा ऊर्जा संग्रहण (स्टोरेज) के साथ या उसके बगैर भी पवन तथा सौर ऊर्जा स्त्रोतों के संयोजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ;"

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन :

3.1 मूल विनियमों के विनियम चार के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए :

"पात्रता मापदंड- नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु विद्युत–दर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन निर्धारित की जागी :

क) पवन विद्युत परियोजना जिसके अन्तर्गत 5 मेगावाट क्षमता से कम क्षमता के टरबाइन उत्पादकों (turbine generators) का उपयोग किया जा रहा हो।

ख) लघु जल–विद्युत परियोजना–राज्य समन्वयन अभिकरण/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यस्थल पर स्थित हो जहां नवीन संयन्त्र तथा मशीनरी का उपयोग किया जा रहा हो और एकल स्थल पर स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट से कम या उसके बराबर हो।

ग) रेंकाइन चक्र प्रौद्योगिक पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजना–बायोमास परियोजनाएं जिनमें रेंकाइन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन संयन्त्र तथा मशीनरी का उपयोग किया जा रहा हो तथा बायोमास ईंधन स्त्रोत का उपयोग किया जा रहा हो।

घ) बगास आधारित विद्युत सह–उत्पादन परियोजना–कोई परियोजना बगास आधारित विद्युत सह–उत्पादन के रूप में परिभाषित होने की अर्हता रखेगी यदि वह किसी सह–उत्पादन परियोजना की अर्हकारी अपेक्षा की पूर्ति करती हो।

ङ) सौर प्रकाश वोल्टीय तथा सौर ताप परियोजना–एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित 5 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजना।

च) बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना–कोई परियोजना बायोगैस आधारित परियोजना के रूप में परिभाषित होने की अर्हता रखेगी यदि वह नवीन संयन्त्र तथा मशीनरी का उपयोग कर रही हो तथा ऐसी ग्रिड संसक्त प्रणाली हो, 100% बायोगैस प्रज्वलित इंजन का उपयोग करती हो, जो गोबर, वनस्पति अपशिष्ट तथा अन्य जैविक अपशिष्ट जैसा कि एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया जाए के आत्मसात्करण हेतु बायोगैस प्रौद्योगिकी से सहयोजित हो।

छ) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना–नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के भस्मीकरण पर आधारित है, जैसा कि एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ज) सौर पवन संकर (हायब्रिड) परियोजनाएं, जिनकी क्षमता 50 मेगावाट से कम हो, जो एक ही स्थल या भिन्न–भिन्न स्थलों पर अवस्थित हों, जिनका एक ही स्थल पर 50 मेगावाट से कम क्षमता का वैयक्तिक आकार हो, इस शर्त के अध्यधीन होगा कि उसकी ऊर्जा संग्रहण के साथ या उसके बगैर 50 मेगावाट से कम न्यूनतम बोली क्षमता (bid capacity) हो, जिसके अनुसार एक संसाधन (पवन या सौर) की निर्धारित क्षमता

(rated capacity), प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर कुल संविदाकृत क्षमता का न्यूनतम 33% हो :

परन्तु यह कि ऐसी परियोजनाएं जिनके लिये आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन करना हो वहां इन पर टैरिफ नीति, 2016 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के संबंध में अधिसूचना तिथि के पश्चात् बोली प्रक्रिया (bidding) लागू होगी।''

3.2 **मूल विनियमों में विनियम 4 के पश्चात् एक नवीन विनियम "4क" निम्नानुसार स्थापित किया जाए :**

"**4क-** परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियों हेतु, विद्युत–दर (टैरिफ) जिन हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं को आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत अपनाया जाएगा :

क) पवन विद्युत परियोजना जिसके अन्तर्गत 5 मेगवाट से अधिक या उसके बराबर क्षमता के नवीन पवन टरबाइन उत्पादकों (जनरेटर्स) का उपयोग किया जा रहा हो।

ख) सौर प्रकाश वोल्टीय तथा सौर ताप विद्युत परियोजना–एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित जिनकी क्षमता 5 मेगावाट से अधिक या उसके बराबर हो।

ग) सौर पवन संकर (हायब्रिड) विद्युत परियोजनाएं :– सौर पवन संकर विद्युत परियोजना की सौर तथा पवन परियोजनाएं एक स्थल पर 50 मेगावाट तथा इससे अधिक वैयक्तिक आकार के साथ, मय ऊर्जा संग्रहण के तथा उसके बगैर भी, मय 50 मेगावाट की न्यूनतम बोली क्षमता के एक ही स्थल पर या भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित हो सकती है जो इस शर्त के अध्यधीन लागू होगा कि एक स्त्रोत (पवन या सौर) की निर्धारित क्षमता कुल संविदाकृत क्षमता का न्यूनतम 33% होगी।

4. मूल विनियमों के विनियम 68 को विलोपित किया जाए तथा मूल विनियमों के विनियम 69 को विनियम 68 पुर्नक्रमांकित किया जाए।

उमाकांता पॉडा, सचिव.